दैनिक जागरण

जोखिम लिए बिना कभी कोई महान चीज संभव नहीं हुई

बैंकों का विलय

दस सरकारी बैंकों के विलय का फैसला बैंकिंग सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम है। ऐसे किसी फैसले का एक अर्से से इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि देश में दो दर्जन से अधिक सरकारी बैंक होने का कोई औचित्य नहीं बनता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की दस बैंकों का विलय चार बैंकों में करने की घोषणा का मतलब है कि अब देश में एक दर्जन सरकारी बैंक ही रह जाएंगे। चूंकि चार-पांच सरकारी बैंक ही पर्याप्त माने जा रहे हैं इसलिए देखना यह है कि भविष्य में बैंकों की संख्या में और कटौती होती है या नहीं? जो भी हो, कम से कम अब यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सरकारी बैंक उन समस्याओं से न ग्रस्त होने पाएं जिनके चलते एक तरह से उनका दीवाला निकल गया। शेष सरकारी बैंकों को न केवल एक-दूसरे से, बल्कि निजी क्षेत्र के बैंकों से भी प्रतिस्पर्द्धा करनी चाहिए। इससे भी जरूरी यह है कि उन्हें जनता के पैसे से खुद को उबारे जाने की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। इसी के साथ यह भी आवश्यक है कि वे बेजा राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त रहें और कर्ज बांटने का काम इस तरह करें कि उसे वसूल भी कर सकें। हालांकि सरकार यह भरोसा दिला रही है कि सरकारी बैंकों के एनपीए में सुधार आया है, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि फंसे कर्ज की वसूली अभी भी चिंता का विषय बनती रहती है। इस चिंता से तभी मुक्त हुआ जा सकता है जब सरकारी बैंकों को फंसे कर्ज के मामले में जवाबदेह बनाया जाएगा। इसके लिए जरूरी हो तो नियम-कानूनों में बदलाव किया जाना चाहिए।

बैंकों में विलय की घोषणा एक ऐसे समय हुई जब अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर में भारी गिरावट सामने आई। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में विकास दर घटकर पांच प्रतिशत रह जाना यह बताता है कि मंदी का असर गहरा रहा है। यह बीते छह साल में सबसे धीमी विकास दर है। हालांकि अर्थव्यवस्था में सुस्ती के चलते जीडीपी में गिरावट का अंदेशा था, लेकिन पांच प्रतिशत का आंकड़ा कहीं अधिक चिंतित करने वाला है। सरकार उन कारणों से अनभिज्ञ नहीं हो सकती जिनके चलते अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ती जा रही है। उसे इन कारणों का निवारण प्राथमिकता के आधार पर करना होगा और इस क्रम में सबसे पहले यह देखना होगा कि लोगों की क्रय शक्ति कैसे बढ़े? उपभोक्ता मांग बढ़ाने के कारगर उपायों के साथ सरकार को आर्थिक सुधारों को भी नए सिरे से गति देनी चाहिए, क्योंकि तभी उन कदमों का सही लाभ मिलेगा जो हाल के दिनों में अर्थव्यवस्था को बल देने के लिए उठाए गए हैं।

कैंपा की सौगात

देर से सही, आखिरकार उत्तराखंड को कैंपा फंड से अपना हक मिल ही गया। यह किसी सौगात से कम नहीं है। क्षतिपूरक वनीकरण प्रबंध अभिकरण (कैंपा) फंड में जमा 2675 करोड़ रुपये की धनराशि राज्य के हिस्से आई है। तकरीबन तीन दशक से राज्य सरकार इसके लिए प्रयासरत थी। इस दरम्यान सरकार ने अपनी जरूरतों की दलील देते हुए तमाम मंचों पर यह मांग उठाई और केंद्र पर दबाव भी बनाया। उत्तराखंड ही नहीं, दूसरे राज्य भी अपने इस हक के लिए लगातार एड़ियां रगड़ रहे थे। एक रोज पहले केंद्र सरकार ने उनकी मुराद पूरी कर दी। सभी राज्यों को उनके हिस्से का कैंपा का बजट जारी कर दिया। दरअसल यह बजट केंद्र की तरफ से मदद नहीं, बल्कि राज्यों का अपना पैसा है, जो उन्होंने विभिन्न परियोजनों के लिए वन संपदा की क्षतिपूर्ति के रूप में कार्यदायी संस्थाओं से कैंपा फंड में जमा करवाया था। इस धनराशि का उपयोग वनों के कटान से होने वाले नुकसान की भरपाई, पर्यावरण संरक्षण के उपायों और खनन व विकास उपक्रमों की स्थापना की वजह से विस्थापित लोगों की मदद के लिए किया जाता है। उत्तराखंड में इसकी ज्यादा जरूरत महसूस की जाती रही है। क्योंकि राज्य में लगभग 67 फीसद वन भू-भाग है, यहां हर छोटे-बड़े काम में वन संपदा के संरक्षण की जरूरत बनी रहती है। अभी तक राज्य सरकार को कैंपा फंड से बेहद कम राशि मिल रही थी, अब 2675 करोड़ रुपये राज्य के हिस्से में एकमुश्त आ गए हैं। निश्चित तौर पर सरकार के लिए यह बड़ी राहत वाली बात है। अब उसे इस राशि से ब्याज के रूप में ही सालाना लगभग दो सौ करोड़ रुपये मिलेंगे। कैंपा फंड से नियमित मिलने वाला बजट अलग से मिलता रहेगा। यानी काफी हद तक टेंशन खत्म। चूंकि वन्य जीव-मानव के बीच संघर्ष थामने के उपायों, बुग्यालों का संरक्षण और वन पंचायतों को सशक्त बनाने जैसे काम भी कैंपा के दायरे में शामिल हैं। ताजा परिस्थितियों में सरकार के लिए यह राह आसान हो गई है। अब उसे इन कामों के लिए पूरी तरह से केंद्र पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। हां, इतना जरूर है कि सरकार को अपने कामकाज का तौर-तरीका बदलना होगा। कैंपा फंड में जमा रकम सरकार को भले ही मिल गई है, लेकिन इससे होने वाले कार्यों की मंजूरी केंद्र के स्तर पर ही मिलनी है। लिहाजा वनीकरण और दूसरी योजनाएं को बनाते वक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। इनमें धरातलीय स्थिति का समावेश जरूर होना चाहिए। ऐसा न होने की स्थिति में आधी-अधूरी योजनाओं के केंद्र के वापस आने की आशंका बनी रहेगी।

भ्रष्टाचार पर चौतरफा प्रहार

डॉ. एके वर्मा

मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम चलाई है उसके तहत वह राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक और सामाजिक भ्रष्टाचार पर एक साथ प्रहार कर रही है

कांग्रेस के नेता और देश के पूर्व वित्त एवं गृह मंत्री पी चिदंबरम की गिरफ्तारी नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा भ्रष्टाचार पर तेज होते प्रहार का संकेत है। अपने प्रथम कार्यकाल से ही प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार के प्रति जीरो-टालरेंस की नीति अपनाई, लेकिन 72 वर्षों में भ्रष्टाचार ने गहरी जड़ें जमा ली हैं जो देश की अर्थव्यवस्था को दीमक की तरह चाट रही हैं। भ्रष्टाचार में प्रमुख संस्थाओं के अनेक उच्च पदाधिकारी संलिप्त मिले हैं। उन्हें राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त होता रहा है इसलिए कौन किस पर हाथ डाले? जनता जानती है कि किसी सरकारी दफ्तर में काम कराने के लिए क्या करना पड़ता है? प्रायः तर्क दिया जाता है कि भ्रष्टाचार के लिए जनता भी उतनी ही दोषी है जितने सरकारी अधिकारी और कर्मचारी। सिद्धांततः यह ठीक है, पर व्यवहार में? कल्पना कीजिए कि 60-70 या ज्यादा वर्ष के पेंशनभोगी सरकारी दफ्तर या कोषागार के चक्कर लगा रहे हैं और संबंधित बाबू उन्हें रोज-रोज नई कमियां बता कर टहला रहा है। क्या वे प्रतिदिन आ सकते हैं? गांव के गरीब किसान, मजदूर, महिलाएं किसी दफ्तर में इस टेबल से उस टेबल परेशान हो रहे हों और उनसे अपेक्षा की जाए कि वे बार-बार आएं? मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम चलाई है उसके तहत वह राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक और सामाजिक भ्रष्टाचार पर एक साथ प्रहार कर रही है, पर आज भ्रष्टाचार का स्वरूप व्यापक और जटिल हो गया है। ऐसी संस्थाएं जिन पर भ्रष्टाचार के निवारण के लिए जनता आश्रित है वे ही भ्रष्टाचार में लिप्त हैं।

आदिकाल से ही भ्रष्टाचार की समस्या रही है। कौटिल्य ने सरकारी अधिकारियों में भ्रष्टाचार के बारे में कहा था कि जिस प्रकार मछली के लिए पानी का सेवन न करना संभव नहीं, उसी प्रकार सरकारी कर्मचारी भी उस पैसे का सेवन किए बिना नहीं रह सकते जो उनके हाथों से गुजरता है, लेकिन इस प्रवृत्ति पर लगाम तो लगानी ही पड़ेगी और जैसा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, किसी को राजनीतिक नफा-नुकसान की चिंता किए बिना पहल करनी पड़ेगी। साफ-सुथरा प्रशासन शुरू से ही मोदी सरकार की 'यूएसपी' रही है। उन्होंने भ्रष्टाचार पर प्रहार के लिए टॉप-डाउन-मॉडल अपनाया है। उन्होंने सर्वप्रथम स्वयं अपने आचरण से एक भ्रष्टाचार-विहीन राजनीतिज्ञ का प्रतिमान पेश किया। मोदी सरकार की नीतियों से कोई सहमत या असहमत हो सकता है, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं कर सकता कि उन पर या उनकी सरकार के मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की भी छवि बेदाग रही, लेकिन उनकी सरकार के कई मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त थे।

2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी ने राफेल सौदे में भ्रष्टाचार पर मोदी सरकार को फंसाने की कोशिश की, लेकिन जनता ने उस झूठ को नकार दिया। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मंत्रियों पर भी नकेल कसी और समय-समय पर उन्हें आगाह किया कि भ्रष्टाचार का कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष मामला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यही रणनीति उन्होंने शीर्ष-नौकरशाही के प्रति भी अपनाई। एक ओर अफसरों को प्रधानमंत्री से सीधे संपर्क करने का अधिकार दिया तो दूसरी ओर उनकी व्यक्तिगत निगरानी भी की। इसकी 'हवा' तेजी से शीर्ष अधिकारियों में फैल गई और उनमें भय समा गया कि उनका भ्रष्टाचार मोदी से छिपा नहीं रह पाएगा। जो अधिकारी भ्रष्टाचार से फिर भी बाज नहीं आए उन्हें सरकार ने जबरन सेवा मुक्त कर दिया।

अभी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज के अधीक्षक स्तर के 22 अधिकारी और जून 2019 में भारतीय राजस्व सेवा के 27 अधिकारी सेंट्रल सिविल सर्विस रूल्स, 1972 के अंतर्गत भ्रष्टाचार के कारण हटाए गए। विगत पांच वर्षों में लगभग ऐसे 300 से अधिक अधिकारी हटाए जा चुके हैं।

अवधेश राजपूत

मोदी सरकार का फरमान है-रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म अर्थात 'सुधरो, काम करो और बदलो' अन्यथा बाहर का रास्ता देखो, लेकिन जनता के पैसे से खिलवाड़ मत करो। किसी सरकार में ऐसी मजबूती संभवतः पहली बार दिखाई दे रही है। यह कोई अचानक उठाया गया कदम नहीं है। मोदी सरकार ने शुरू से ही इसके संकेत दिए थे। काला-धन घोषित करने की योजना, विमुद्रीकरण, टैक्स चोरी रोकने के लिए जीएसटी लाना, बिचौलियों को खत्म करने के लिए सब्सिडी को सीधे खाते में ट्रांसफर करने आदि जैसे अनेक कदम मोदी सरकार की इस मुद्दे पर गंभीरता को रेखांकित करते हैं। इसके कारण ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा तैयार 'भ्रष्टाचार-सूचकांक' 2018 में भारत की स्थिति चीन से बेहतर हो गई। 180 देशों की सूची में चीन 87वें स्थान पर चला गया वहीं भारत 78वें स्थान पर पहुंच गया, लेकिन अभी सुधार की बहुत गुंजाइश है। शायद इसीलिए चिदंबरम के विरुद्ध भी कदम उठाने से सरकार हिचकी नहीं। यह कांग्रेस के शीर्ष नेताओं द्वारा भ्रष्टाचार में लिप्त होने का अनोखा केस है। यह बात और है कि जब भी कोई छोटा-बड़ा नेता कानून के शिकंजे में फंसता है तो वह उसका ठीकरा राजनीतिक विद्वेष पर फोड़ देता है। सोनिया और राहुल गांधी भी भ्रष्टाचार के शिकंजे में हैं। यह है मोदी का टॉप-डाउन-मॉडल। जब टॉप अर्थात शीर्ष राजनीतिज्ञों और अधिकारियों पर लगाम लगेगी तो 'बॉटम' अर्थात नीचे वाले अपने आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन ऐसी रणनीति तो केंद्र सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों के लिए है और जनता का ज्यादा काम राज्य सरकार के दफ्तरों में अधिकारियों से पड़ता है।

राज्यों में प्रधानमंत्री की नहीं वरन मुख्यमंत्रियों की चलती है। संभवतः मोदी की रणनीति में राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए भी संदेश छिपा है, पर क्या राज्यों के मुख्यमंत्री भी मोदी जैसे साफ-सुथरे हो सकेंगे? क्या वे भी अपने विधायकों और अधिकारियों पर लगाम लगा सकेंगे? अब तो पंचायत स्तर पर भी भ्रष्टाचार है। पंचायतों को करोड़ों रुपये विकास के लिए केंद्र और राज्य से मिलते हैं जिसे ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर सरपंच, ब्लॉक-प्रमुख और जिला-पंचायत अध्यक्ष सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से उड़ा रहे हैं। भ्रष्टाचार का फैलाव बहुत है। उसमें गहराई भी बहुत है। इसके विरुद्ध अन्ना हजारे जैसे जन आंदोलन मात्र से काम नहीं चलेगा, प्राइमरी-कक्षा से ही इसके विरुद्ध बच्चों में संस्कार और मूल्य डालने पड़ेंगे। पैसे का लालच तो अंतहीन है, पर यदि हम देश, समाज, परिवार के साथ एकसूत्र में गुंथे हुए आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें भ्रष्टाचार के विरुद्ध स्वयं को सिपाही बनाना पड़ेगा और इसकी अगुआई करने वाले सरकारी, गैरसरकारी संगठनों एवं जनआंदोलनों का साथ देना पड़ेगा।

(लेखक सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोसायटी एंड पॉलिटिक्स के निदेशक हैं)

response@jagran.com

महिलाओं के हाथ से छूटते काम

क्षमा शर्मा

महिलाओं ने जो विशेषज्ञता सदियों में प्राप्त की थी वह अब तेजी के साथ खत्म होती जा रही है

हमारी पीढ़ी की स्त्रियां जब पलटकर देखती हैं तो उन्हें अपने गांवों, कस्बों और नगरों में ऐसी बेशुमार स्त्रियां नजर आती हैं जिनके पास काम ही काम थे। जैसे, गाय-भैंस का दूध दुहने से लेकर उनके दाना, पानी, नहलाने का बंदोबस्त करना, बदलते मौसम की मार से उन्हें बचाना, गोबर से उपले थापना, उसके साथ पीली मिट्टी मिलाकर कच्चे घरों की लिपाई-पुताई करना, संयुक्त परिवारों का खाना पकाना, कपड़े धोना, घर की साफ-सफाई करना। इसी तरह मौसम के हिसाब से थोक में दाल, चावल, मसाले खरीदकर उन्हें सुखाना, साफ करना, चक्की पर पीसना, दालों, मसालों में कीड़े न लगें, इसके लिए उन पर हल्के हाथ से तेल लगाना, फिर उन्हें ठंडा करके कनस्तरों, डब्बों में भरना। इसके अलावा मौसमी अचार, पापड़, बड़ियां बनाना, स्वेटर बुनना, कपड़े सिलना और पल-पल आते तीज-त्योहारों से जुड़े खान-पान तैयार करना, घर में वक्त-बेवक्त आए मेहमानों का स्वागत-सत्कार करना, अपने बच्चों और रिश्तेदारों के बच्चों की देखभाल करना। कुल मिलाकर उनके पास काम ही काम थे। इसके चलते इन महिलाओं के जीवन में जैसे आराम नाम का शब्द ही नहीं था। बहुत से लोग कहते हैं कि इसी परिश्रम के कारण अक्सर उन महिलाओं को कोई गंभीर रोग नहीं होते थे और उनका जीवन भी लंबा होता था।

हालांकि यह भी सच है कि उन दिनों औरतों के काम को काम की तरह देखने का रिवाज नहीं था। उनके सारे काम कर्तव्य की श्रेणी में आते थे, जिन्हें उन्हें न केवल बीमारी-हारी के दौरान, बल्कि कई बार जान देकर भी निबाहना पड़ता था। इसके अलावा चूंकि घरेलू काम से कोई आय नहीं होती थी इसलिए उनके कामों की कोई शिनाख्त भी नहीं होती थी। वे फ्री के खाते में जाते थे। हाड़तोड़ काम के बावजूद हाथ में पैसा न होने के कारण महिलाएं मामूली जरूरतों के लिए भी पुरुषों पर निर्भर थीं। इसीलिए यह विचार सामने आने लगा कि महिलाओं का पैसा कमाना कितना जरूरी है? इसीलिए जबसे महिलाओं की शिक्षा और उनकी आत्मनिर्भरता की लहर चली तबसे घर के काम औरतों की जिंदगी से दूर होते चले गए। घर की जरूरतों को पूरा करने से लेकर घरेलू उपयोग की वे चीजें जिन्हें महिलाएं तैयार करती थीं, उन्हें बाजार से खरीदा जाने लगा। एक वक्त ऐसा भी आया है कि घर के कामों को करना हैसियत से भी जोड़ दिया गया। एक यह तर्क भी चल निकला है कि इतनी पढ़ाई-लिखाई क्या इसलिए की है कि रात-दिन खाना बनाएं? शायद इसीलिए इन दिनों हम देखते हैं कि जो परिवार खाना बनाने के लिए कुक रख सकते हैं वे कुक रखते हैं। जो खरीद सकते हैं वे उसे बाजार से खरीदते हैं। इसके अलावा तकनीक ने भी दुनियाभर में घरेलू कामों को आसान बनाया है। गैस, माइक्रोवेव, कुकर, मिक्सी, फ्रिज, कपड़े धोने की मशीन आदि ऐसी ही सुविधाएं हैं, लेकिन स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि अब कम काम के कारण महिलाएं उन रोगों का शिकार हो रही हैं जो अक्सर पुरुषों को होते थे। इसका बड़ा कारण यह है कि जितनी कैलोरी वे खाती हैं, वे खर्च नहीं होतीं। मोटापा बढ़ता है, उससे निपटने के लिए जिम आदि जाने पर अतिरिक्त खर्च तो होता ही है, अलग से समय भी निकालना पड़ता है, जबकि घर के तरह-तरह के काम व्यायाम ही थे।

बदलाव के इस दौर में जो बात हैरत में डालती है वह यह है कि औरतों के जितने भी काम थे उन सब पर कंपनियों और प्रकारांतर से पुरुषों का कब्जा हो गया है। अब बड़े-बड़े होटलों, ढाबों, यहां तक कि घरों में भी पुरुष ही खाना पकाते दिखते हैं। वे ही सिलाई, कढ़ाई करते, पशुओं की देखभाल करते नजर आते हैं। दूध का लगभग सारा व्यवसाय पुरुषों के हवाले है। स्वेटर बनाने से लेकर कपड़े सिलने तक के क्षेत्र में पुरुष छाए हुए हैं। वे ही बड़े-बड़े शेफ और फैशन डिजाइनर हैं। महिलाओं ने जो विशेषज्ञता सदियों में प्राप्त की थी वह खत्म होती जा रही है और अगली पीढ़ियां तो हो सकता है कि इस बात पर आश्चर्य करें कि कभी महिलाएं खाना पकाना जानती थीं और वे खेतीबारी का काम भी कर सकती थीं। तकनीक, मशीन और पुरुषों ने औरतों के सारे काम छीन लिए हैं। भले ही इसे औरतों की मुक्ति के रूप में देखा जाता हो, लेकिन यह अपनी कलाकारी से हाथ धोना भी है। इसे आज नहीं, बहुत बाद में महसूस किया जाएगा, लेकिन तब तक सब विस्मृति के गर्भ में जा चुका होगा।

(लेखिका साहित्यकार हैं)

response@jagran.com

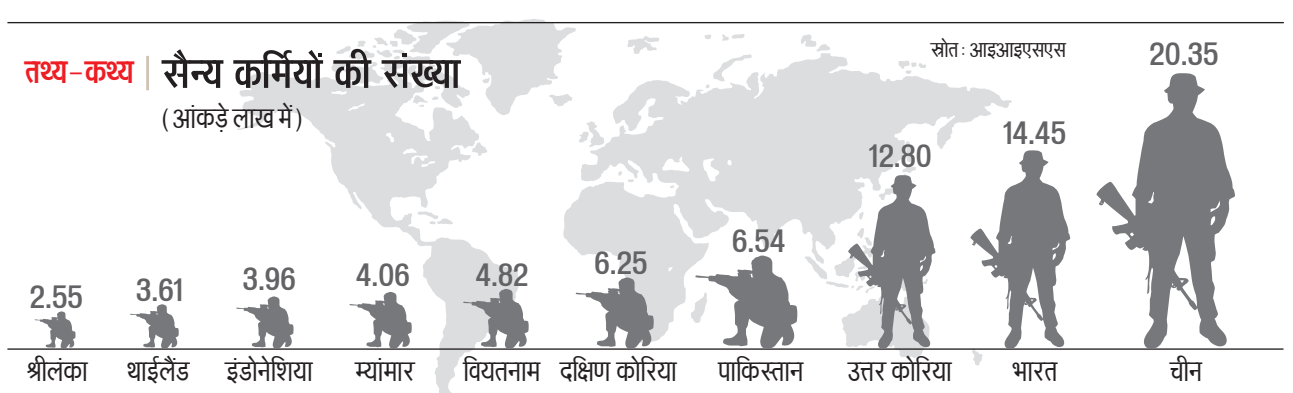

ऊर्जा

सत्य का बोध

सत्य ही धर्म है। महात्मा गांधी सत्य एवं अहिंसा के पुजारी थे। उनका कथन है कि जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं, उन्हें पग-पग पर परमात्मा का संबल मिलता रहता है। उसके मार्ग में बाधक बनने वाले परमात्मा के कोप का भाजन बनते हैं, क्योंकि सत्य के मार्ग पर जो चलते हैं, वे किसी के बारे में न बुरा सोचते हैं और न अहित ही किसी का करते हैं। वे सदा सब की भलाई ही सोचते हैं। सबकी भलाई में ही उनकी भलाई का भाव छुपा रहता है। वे अपने कतव्यों को पालने में सदा ही मुस्तैद रहते हैं। इसी कारण उन पर परमात्मा की कृपा-दृष्टि एवं अनुदान-वरदान सदा ही बरसते रहते हैं।

सत्यवादी व्यक्ति की कथनी और करनी में भिन्नता नहीं देखी जाती है। कथनी और करनी में जहां भिन्नता पाई जाती है, वहां असत्य और अधर्म का वास होता है। सत्य के दर्शन के लिए कथनी और करनी में समानता अनिवार्य है। धर्म के मार्ग पर चलने में कठिनाइयों का सामना तो करना पड़ता है, पर जो मन में संकल्प करके सत्य के मार्ग पर चलते हैं, कठिनाइयां मात्र उनकी परीक्षा लेती हैं, कुछ अहित नहीं कर सकती हैं, क्योंकि उस व्यक्ति को परमात्मा की शक्ति का संबल मिलता रहता है। उसके पग-पग पर आनेवाली कठिनाइयां उसे और निखारती हैं और तरह-तरह की अनुभूतियां प्रदान करके मंजिल का मार्ग प्रशस्त करती रहती हैं।

बादल सूर्य को ज्यादा समय तक ढंक कर नहीं रख सकते हैं, यह प्रकृति का नियम है। सत्य के मार्ग के पथिक राजा हरिश्चंद्र राज्य का परित्याग किया। पत्नी, बच्चा, स्वयं को बेचा, पर सत्य मार्ग से पीछे पग नहीं किया। राजा हरिश्चंद्र को सत्य के ज्ञान का बोध था। उन्हें ज्ञान था कि मात्र ईश्वर सत्य है और सृष्टिगत वस्तु नश्वर है। सत्य की अनुभूति का ज्ञान होते ही व्यक्ति अपने दोष-दुर्गुणों, अहं को परम सता के चरणों में समर्पित करता है और अपने मन मंदिर को पवित्र करके निष्पाप बना लेता है। इसलिए बुरे परिणामों से बचने के लिए दोष-दुर्गुणों को जीवन से निकाल देना ही जीवन के लिए हितकारी होता है।

मुकेश ऋषि

मिलकर लड़नी होगी कुपोषण से जंग

सुधीर कुमार

नीति आयोग की एक रिपोर्ट बताती है कि केवल कुपोषण के कारण देश की कुल आय में दस फीसद की कमी आती है!

हाल ही में वर्ल्ड विजन इंडिया और आइएफएमआर लीड द्वारा संयुक्त रूप से 'चाइल्ड वेल-बीइंग इंडेक्स' (बाल कल्याण सूचकांक) रिपोर्ट जारी की गई है। देश में बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, स्वच्छता और सुरक्षा जैसे दो दर्जन संकेतकों के अध्ययन के बाद तैयार की गई इस सूचकांक में केरल, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश को शीर्ष स्थान मिला है, जबकि मेघालय, झारखंड और मध्यप्रदेश नीचले पायदान पर हैं। नीति आयोग ने रिपोर्ट को महत्वपूर्ण बताते हुए कुपोषण के खात्मे के लिए सरकार के साथ-साथ गैर-सरकारी संगठनों को भी आगे आने को कहा है।

आंकड़ों के मुताबिक भारत में प्रत्येक चार में से एक बच्चा कुपोषण का शिकार है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे भारत में हैं। हमारे देश में पांच वर्ष से कम उम्र के करीबन 44 फीसद बच्चों का वजन सामान्य से कम है, जबकि 72 फीसद बच्चे खून की कमी यानी एनीमिया से जूझ रहे हैं। कुपोषण की समस्या बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी रही है। नवजात व पांच साल तक के बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं में कुपोषण के मामले देश में सर्वाधिक देखे गए हैं। बच्चों में कुपोषण का अर्थ यह हुआ कि उनकी जीवन की गुणवत्ता और राष्ट्र के प्रति मानव संसाधन के रूप में जो दायित्व है, उसे निभा पाने में वे पूरी तरह विफल हो जाएंगे।

देश में स्वास्थ्य व पोषण की समुचित व्यवस्था कर कुपोषण से होने वाली मौतों को बहुत हद तक रोका जा सकता है। कुपोषण के कारण मानवबल की कार्य-क्षमता और गुणवत्ता का क्षरण होता जाता है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट बताती है कि केवल कुपोषण के कारण देश की कुल आय में दस फीसद की कमी आती है! बच्चे देश के भविष्य हैं, लेकिन गरीबी की वजह से कई बच्चे पर्याप्त भोजन व आवश्यक सुख-सुविधाओं से विरत जीवन गुजारने को विवश हैं। हालांकि सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन और आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषाहार वितरण से स्थिति सुधरती नजर आ रही है। इस गति को तेज किए जाने की जरूरत है।

गत दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कुपोषण से निपटने पर चर्चा के दौरान जनभागीदारी पर विशेष जोर दिया। उन्होंने देशवासियों से मार्मिक अपील करते हुए यह भी कहा कि हमें व्यक्तिगत स्तर पर भी कुपोषण से ग्रस्त लोगों को बाहर निकालने का प्रयास करना चाहिए। अगर देश का हर सक्षम व्यक्ति एक कुपोषित व्यक्ति को उस स्थिति से बाहर निकालने का प्रयास करता है, तो बड़ी तेजी से कुपोषण के मामलों में कमी लाई जा सकती है। सरकार ने 2022 तक देश को कुपोषण-मुक्त बनाने का संकल्प लिया है। इस संकल्प को पूरा करने में हम सबों की भागीदारी अनिवार्य है। देश का एक सामान्य नागरिक भी अपने घर में शेष बचे भोजन को फेंकने के बजाय जरूरतमंदों के बीच बांटने की आदत को विकसित कर कुपोषण-मुक्त भारत बनाने में अपना अहम योगदान दे सकता है।

(लेखक बीएचयू में अध्येता हैं)

मेलबाक्स

चीन की अनदेखी न करे भारत

मोदी सरकार द्वारा अनुच्छेद-370 एवं 35-ए हटाए जाने के बाद बौखला रहे पाकिस्तान को पड़ोसी चीन से जैसी शह मिल रही है, उसकी अनदेखी करना भारत के हित में नहीं होगा। कश्मीर मुद्दे को चीन की मदद से संयुक्त राष्ट्र में ले जाने वाले पाकिस्तान को यह भरोसा है कि भारत से जंग होने की स्थिति में उसे चीन की मदद जरूर मिलेगी। शायद तभी वह अपनी तंगहाली में भी भारत के साथ जंग के मंसूबे पाल रहा है। पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख राशिद अहमद ने बड़ी बेतकल्लुफी से यह बयान दिया है कि आगामी अक्टूबर-नवंबर के महीने में भारत के साथ पाकिस्तान की जंग अवश्यंभावी है। उन्होंने यह भी फरमाया कि कश्मीर के लिए जंग का अब निर्णायक समय आ गया है। पाक सरकार के ये मंत्री बिना किसी भरोसे के इतनी खुली बात नहीं कर सकते। यद्यपि भारत ने इस तरह के भड़काऊ बयान का कोई संज्ञान नहीं लिया है, बावजूद इसके सावधानी अपेक्षित है। क्योंकि चीन के साथ होने वाली पाकिस्तान की साठगांठ भविष्य में भारत के लिए चुनौती बन सकती है। इस दृष्टि से अक्टूबर माह में भारत आने वाले चीनी राष्ट्रपति के साथ वार्ता करते समय भारत को यह कहने में संकोच नहीं करना चाहिए कि कश्मीर मुद्दे पर बेवजह पाकिस्तान को शह देना उचित नहीं है। भारत-पाक के बीच उलझने वाली कश्मीर समस्या को सुलझाने के लिए मध्यस्तता का मन बना रहे अमेरिका को जिस तरह से भारत ने कड़ा जवाब देकर शांत कर दिया है, वैसी ही कूटनीति चीन के साथ अपनाने की जरूरत है। हालांकि चालबाज चीन बहुत ज्यादा भरोसेमंद नहीं है, फिर भी कूटनीतिक संतुलन बनाना ही होगा। डोकलाम विवाद पर भारत की दृढ़ता ने जिस तरह से चीन को पीछे हटने को विवश कर दिया था। आज कश्मीर मुद्दे पर चीन के प्रति वैसी ही दृढ़ता की जरूरत है। विश्वमंच पर अपनी धाक जमा चुके भारत के लिए पाकिस्तान को कूटनीतिक मात देने हेतु चीन को रास्ते पर लाना ही होगा। कश्मीर मसले पर भारत को अपने घर के विपक्षी विरोध के साथ-साथ पाकिस्तान की पीठ पर हाथ रखने वाले चीन की नकारात्मक दृष्टि की अनदेखी नहीं करनी चाहिए।

pandeyvp1960@gmail.com

कैसे हो पुलिस व्यवस्था में सुधार

राज्य में कानून व्यवस्था एवं शांति को बनाए रखने में पुलिस की अहम भूमिका होती है। लेकिन मौजूदा समय में पुलिस अपने दायित्व का निर्वहन सफलता पूर्वक नहीं कर पा रही है। इसके अनेक कारण हैं, जिनमें ड्यूटी का समय निर्धारित ना होना, त्योहारों पर छुट्टियों का ना मिलना, इसके अतिरिक्त कार्यकाल के दौरान मात्र छह फीसद को अतिरिक्त ट्रेनिंग मिल पाना शामिल है। इन्हीं सब कारणों से पुलिस पर लोगों का भरोसा और अपराधियों का डर दोनों कमजोर हो रहा है। बहुत सारे मौकों पर पुलिसकर्मी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहते हैं, लेकिन वाहनों या स्टाफ की कमी से वह ऐसा नहीं कर पाते। इन सबके बावजूद भी पुलिस हमारी सेवा में दिन-रात लगी रहती है। भारत के सात राज्यों में पुलिस कर्मियों को लगभग 18 घंटों तक ड्यूटी करनी पड़ती है। बिहार में कहीं-कहीं ऐसे थाने हैं, जहां मात्र एक ही पुलिसकर्मी तैनात है। हालांकि कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पर ज्यादा काम के बदले पुलिस कर्मियों को एक माह का अतिरिक्त वेतन दिया जाता है। कुछ राज्यों ने सप्ताह में एक दिन छुट्टी देने का भी प्रावधान किया, लेकिन संख्या बल की कमी के कारण यह मूर्त रूप नहीं ले सका। राजनीतिक नेतृत्व पुलिस व्यवस्था में बदलाव लाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि पुलिस उन्हीं के इशारों पर चलती है। पुलिस को अब कानून व्यवस्था और जांच-पड़ताल दो अलग विंग में विभाजित करने की आवश्यकता है, जिससे पुलिस का दबाव कम किया जा सके। यह तभी संभव हो सकता है जब आपराधिक जांच प्रक्रिया फॉरेंसिक साक्ष्यों पर आधारित हो।

kulindaryadav5412@gmail.com

नकदी लेनदेन

नोटबंदी के समय ऐसा लगा था कि अब नकदी का चलन कम होगा। सरकार ने भी प्लास्टिक मनी के अधिक से अधिक उपयोग पर जोर दिया था। यह भी बताया गया था कि इससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा, लेकिन रिजर्व बैंक की सालाना रिपोर्ट में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। इसमें बताया गया है कि बाजार में नकदी का लेनदेन बढ़ा है। क्या सरकार ने घोषणा के बाद प्लास्टिक मनी के इस्तेमाल पर गंभीरता नहीं दिखाई अथवा लोगों को यह पसंद नहीं आया?

श्रीनिवास यादव, गाजियाबाद

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।